

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं० 138/2022

तारीखरजू:- 31.10.22

उनवान:- उम्मेद सिंह बनाम बत्तू
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक

फर्द अहकाम

31.10.22

सायल की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हाजिर सायल अधिवक्ता के अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा सायलान के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विन्दू पर वकील सायलान को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण पश्नगत भूमि में प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 25.11.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी खणनो 66/0.60 है 0 ग्राम बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम में आगामी पेशी तक कोई निर्माण नहीं करे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.11.2022 को पेश हो।




(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

25/11/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1 खणनो 8 की ओर से श्री रामचरोष्ठी गुप्ता एडवोकेट ने भीमो पेश किया। जो शान्तिव दिनांक 3.1.23 को पेश हो।
वकालतनामा पेश करने दिनांक 3.1.23 को पेश हो।





6059-66
31.10.22

य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

फर्द अहकाम

4

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित
अप्राधीगण वकील को जवाब पेश करने का अंतिम
मौका दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक
16/12/25 को पेश हो।

1

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष कारण वकील उप
अप्राधीगण वकील को जवाब पेश करने का अंतिम
मौका दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक
24-01-025 को पेश हो।

14/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उपस्थित
वास्ते जवाब दिनांक 6-3-25 को पेश हो।

13/25

वकील वकील उभयपक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी: जिन मुनयाई पंचोटे हे।
पत्रावली गतानुसार दिनांक 15-1-25
को पेश हो।

15/2

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उपस्थित
अप्राधी वकील को जवाब पेश करने के लिए
अंतिम मौका दिया जाकर वास्ते जवाब
दिनांक 7-5-25 को पेश हो।

7/5
25

पत्रावली पेश हुई। वर की ओर से कार्य स्थगित
रखा गया है। गतानुसार दिनांक 7-6-25
को पेश हो।

3/6
25

पत्रावली पेश हुई। प्राचीन उप प्राधी वकील
कोठी उपस्थित नहीं वर कावाजि डीके
गढ़ी इसके उपपक्ष की कोठी भी उपस्थित
नहीं हुआ। इसीलिए प्राधी वकील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिल्हा

पुणे जिल्हा

दिनांक

फर्द अहकाम

दुसरे एवढेना पत्र आधी दुय प्रथी
 वकील की कायम आधी कायम एवढेने
 खासिये मीमा जाल हेर पत्रावकी फेकव
 शक्यात हेर नसवले काम कर आधी
 इतके

महाराष्ट्र शासन हे कायम जिल्हा पुणे जिल्हा
 न्यायालय टोडाभीम जिल्हा पुणे जिल्हा
 न्यायालय टोडाभीम जिल्हा पुणे जिल्हा